पत्रांक–03/ना०सु० / 246/2026/sec-03-UDHD DEPT / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु स्वीकृति योजना के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक 86, दिनांक–10.01.2025 द्वारा नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु कुल ₹8377.88230 लाख (तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार दो सौ तीस रू०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। बुडको द्वारा किये गए अनुरोध के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–317 दिनांक–11.02.2025 द्वारा कुल राशि ₹8377.88230 लाख (तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार दो सौ तीस रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित की गयी थी, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पायी है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश सं० 208 दिनांक–25.07.2025 द्वारा राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र पुनः आवंटित की गई है। राशि के व्ययोंपरांत अवशेष राशि की मांग बुडको द्वारा की गई है।

2. उक्त के आलोक में कार्यकारी एजेंसी बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित एकरारनामा की राशि ₹6930.25370 लाख मात्र के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ–8 में अंकित तत्काल राशि **₹350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख रू०) मात्र** सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति नागरिक सुविध मद से निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	संकल्प सं० / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि सेंटेज सहित	अबतक आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (6–7–8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	नगर निगम, दरभंगा।	बस स्टैण्ड निर्माण योजना।	317/ 11.02.2025	8377.88230	6930.25370	500.00	350.00	6080.25370

3. **उक्त स्वीकृत राशि तत्काल ₹350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख रू०) मात्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।** *अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि* बुडको के

PL खाता सं०–PTSPLA006, HoA संख्या–00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि **₹350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख रू०) मात्र** की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी विकास, लघुशीर्ष–191– नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड–48–2217011910116, विषय शीर्ष–0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 (ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।" राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/ना०सु०/246/2026/sec-03-UDHD DEPT के पृष्ठ सं०–26/टि० पर दिनांक–10/11/2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–26/टि० पर दिनांक–09/11/2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०/246/2026/sec-03-UDHD DEPT 247/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12/11/26

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।